



32

न्यायालय श्रीमान राजस्व भंडार कर्तव्य (उत्तर प्रदेश)

प्र. क्र. निगरानी-6446/2018/आगर मालवा/भू.रा.

1-नाथूसिंह पिता मेहताब

2- गोकुलसिंह पिता नाथूसिंह जाति
सौधिया निवासी ग्राम नाहरखेडा तहसील
सुसनेर कृषक सुसनेर जिला आगर मालवा
म0प्र0 आवेदकगण

प्रस्तुत by P.S.

ज.स.जा.प.स.

विरुद्ध

सीताराम पिता विष्णुप्रसाद शर्मा निवासी
ग्राम नाहरखेडा कृषक सुसनेर जिला आगर
मालवा म0प्र0 अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता श्रीमान
तहसीलदार साहब सुसनेर के प्र.क्र. 1 अ
13/17-18 आदेश दिनांक 28-8-2018 से
असंतुष्ट होकर पेश है-

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :-

1- यह कि, कस्बा सुसनेर में सर्वे क्रमांक 2617/1
रकबा 4.284 आरे, भूमि स्थित है जिसमें आवेदक व
अनावेदकगण व अन्य सह कृषक का सम्मिलित खाता कागजात
में दर्ज है तथा राजस्व अक्स में किसी भी काश्तकार का
स्पेसिफिक रूप से बटांकन दर्ज नहीं किया गया है , अनावेदक
द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में एक आवेदन पत्र रास्ता खुलवाने
बाबत प्रस्तुत किया जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी मोजा
को आदेशित किया गया कि मोजे की जांच कर रिपोर्ट देवे इस
आधार पर पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात
आवेदकगण के विरुद्ध रास्ता खोलने बाबत आदेश प्रदान किया
गया जिसके संबंध में आवेदकगणों के द्वारा एक आवेदन पत्र
धारा 32 म.प्र.भू.रा.संहिता के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया
गया कि धारा 131 म.प्र.भू. रा. संहिता में पटवारी मोजा को
रास्ते का अवलोकन करने का अधिकार नहीं है और पटवारी
मोजा की रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित नहीं किया जा
सकता पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 3-7-2018
को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश निरस्त कर पूर्व की स्थिति

32

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R 6446/18 आगर माला जिला - Ammal

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-7-19	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी... तहसील... सुसनेर के प्रकरण क्रमांक ... 1/31-13/12-18 में पारित आदेश दिनांक 28-8-18 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू- राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर आगर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15-10-18 को कलेक्टर आगर माला के समक्ष उपस्थित हों।</p>	<p>(महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य</p>